155

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3097-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनॉक 30-8-2016 -पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा जिला विदिशा--- प्रकरण कमांक 518 बी-121/ 2015-16

हरीलाल शर्मा पुत्र कोमलप्रसाद शर्मा
मंदिर पुजारी निवासी हामिदपुर
तहसील त्योंदा जिला विदिशा ---आवेदक

विरूद्ध

1- चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रीधर शर्मा
2- रामकमल दास पुत्र नामालूम
3- बदनसिंह पुत्र भारत
4- गंधर्वसिंह पुत्र हमीर
5- चैनसिंह पुत्र बालाराम
6- श्रीमती चंदोवाई सरपंच ग्राम पंचायत
हामिदपुर तहसील तैयोंदा जिला विदिशा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव)
(अनावेदक 1,3 से 6 के अभिभाषक कु0चित्रा सक्सैना)
(अनावेदक -2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8-2-2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 518 बी-121/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-8-16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम हामिदपुर क निवासियों व्दारा जन सुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि मंदिर श्री रामजानकी के पुजारी पद पर नियुक्त चन्द्रप्रकाश पुजार को मंदिर की भूमि पुजारी के नाम की जाय। आवेदन के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव भी प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार त्योंदा ने आवेदन के तथ्यों की जॉच कर अनुविभागीय अधिकारी बासोदा को प्रतिवेदन दिनांक 12-5-16 प्रस्तुत किया एंव बताया कि हरीलाल ने बिना शासन को पक्षकार बनाये मंदिर की भूमि पर कब्जे का दावा किया है , जबकि हरीलाल शासन से नियुक्त पुजारी है इस प्रकार शासकीय सेवक होते हुये उसका आचरण शासकीय सेवक के प्रतिकूल है। ग्रामवासी हामिदपुर उनके चरित्र चालचलन व उनके परिजनों के व्यवहार के सम्बन्ध में प्रतिकूल कथन करा चुके हैं जिससे उनका पुजारी बने रहना विधि सम्मत नहीं है, इसलिये हरीलाल को पुजारी पद से प्रथक कर नवीन पुजारी नियुक्त किया जाय। तहसीलदार के प्रतिवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 518 बी-121, 2015-16 पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जाप्ता दीवानी की धारा 151 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिये उभय पक्ष की साक्ष्य ली जाय, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 30-8-16 पारित किया तथा आवेदक का जाप्ता दीवानी की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का

अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 2 सूचना उपरांत अनुपस्थि रहने से एकपक्षीय है।

47 उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 30-8-16 आवेदक का जाप्ता दीवानी की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेद पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि जब तहसीलदार त्योंदा ने जॉ के दौरान उभय पक्षों को साक्ष्य एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर दे दि है तब पुनः अतिरिक्त साक्ष्य लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकर में इन तथ्यों पर विचार करने के पूर्व देखना है कि क्या पुजारी नियुवि के मामले में राजस्व मण्डल को अपील/निगरानी के श्रवणाधिकार प्रा हैं ? मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एंव धर्मस्व विभाग, मंत्राल भोपाल की विज्ञप्ति कमांक 168-2138/छैः/86 दिनांक 10 फरव 1987 के अनुसार पुजारी नियुक्ति के मामलों अपील/निगरानी श्रवणाधिकार की निम्न व्यवस्था दी गई है :-

1. अनुविभागीय अधिकारी - देवस्थानी पुजारियों एंव कथावाचकों व नियुक्ति, प्रथककरण तथा उनके नामान्तरण ।
2. कलेक्टर - उपरोक्त प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारि आदेशों के विरूद्व प्रथम अपील सुनना।
3. कमिश्नर - कलेक्टर के आदेशों के विरूद्व द्वित्तीय अपील सुनना
4. आदेशों का पुनरीक्षण (निगरानी/रिवीजन) - राज्य शासन स्वप्रेर से अथवा किसी पक्षकार व्दारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कि आदेश की बैधता या औचित्य के सम्बन्ध में या उसकी कार्यवा की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोज के लिये ऐसे पदाधिकारी के समक्ष लम्बित या उसके व्दा निवटाये गये किसी मामले में अभिलेख मंगा सकेगा, उसका

परीक्षण कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सके जैसा वह उचित समझे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पुजारी नियुक्ति के मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में राजस्व मण्डल को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी श्रवण योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई योग्य न होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। परिणाम-स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 51 बी-121/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30-8-1 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर